

4/12
19

पयावली पेश हुई ।

उग्रयपत्त अधिकारवाला
अप्राधी के अधिकारों के अवाक सार्थना
पर पेश नहीं किया सिद्धी बहस हेतु
निवेदन किया जिस पर उग्रयपत्त की
बहस सुनी गई पयावली में अवलोकन
किया गया बाद मसन व अवलोकन
प्रथम दृष्टम मामला, सुविधा का
सुनुमन प्राधी के पक्ष में पाया जाता
है प्राधी का सार्थना पर धारा
212 पर मटे स्वीकार किया जाकर
आदेश दिया जाता है की उग्रयपत्तकार
शाम नैऊ के अःन. 62/2
रकवा 35 बीघा भूमि के राजस्व
रेकड व मोंके की सथा यथा रयति
बसाई रखे ।

पयावली फौसल शुकर होकर नम्बर
से कम होकर संलग्न दावा हो

(Signature)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

